>

Title: Issue regarding considering children below 6 years of age as illiterate in National Population Census.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी।

सभापति जी, नेशनल सैन्सस 9 फरवरी, 2011 से इस देश में चल रहा है। उसमें एन्यूमरेटर को जो परिपत्र दिया गया है, उसमें एक कॉलम रखा हुआ है जिसकी गाइडलाइन्स में यह लिखा है कि जो भी लड़का और लड़की छः वर्ष से कम उम्र के होंगे, उनको निरक्षर दिखाना है, इल्लिट्रेट दिखाना है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि आजकल जो संस्कृति इस देश में चल रही है, उसमें तीन साल का बच्चा स्कूल जाता है और प्राइवेट स्कूलों में अलग-अलग कक्षाएँ बच्चों के लिए होती हैं। कहीं एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास है तो कहीं प्रैप भी है। छः साल का होते होते एक बच्चा बहुत से स्कूलों में पहली कक्षा भी पार कर लेता है। जो आदमी जनगणना कर रहा है, उसको गाइडलाइन्स दी गई हैं कि आप उसको निरक्षर ही दिखाएँगे। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में जब यह इश्यू आया तो मैंने राजस्थान सरकार के संबंधित अधिकारी से बात की।

कमिश्नर से बात की तो वह कहता है कि यह भारत सरकार की गाइडलाइंस है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि यह विसंगति है। इस एनॉमली को दूर किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सही जनगणना नहीं होगी। 6 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वह आठ-दस किताबें तो अवश्य पढ़ता होगा, उसको आप इलीट्रैट कैसे घोषित कर सकते हैं? यह बहुत बड़ी विसंगति है और मैं इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। आप इसे दूर कीजिए, अन्यथा जनगणना सही रूप में नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।